कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार कय)

14/71, सिविल लाईन्स, केस्को,कानपुर।

eestpokesco@gmail.com

पत्रांकः– 72/एस0टी0पी0/19–20 दिनांकः– 18.04.2019

कार्यालय ज्ञाप

ई–निविदा सं0 38/17–18 में विभिन्न साईज के एल0टी0 एक्स0एल0पी0ई0 केबिल की आपूर्ति हेतु मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली को कार्यदेश सं0 जी0एम0जे0–304/ए0एफ0–76 दिनांक 29.01.2018 निर्गत किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

Sl. No.	Particulars	Units	Qty.	Total Value in Rs.
1	L.T XLPE cable of size 1x300sqmm	Km	10	1760000.00
2	L.T XLPE cable of size 1x400sqmm	Km	10	2200000.00

अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को के पत्र सं0 285/भण्डार/ए0एफ0–76/2019–20 दिनांक 16.04.2019 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ने पत्र सं० 842/सीएमयू(डी)/ईई–03 /परिवर्तक/2019 दिनांक 03.04.2019 के अनुपालन में आपूर्तित उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश के दृष्टिगत मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली के कयादेश सं0 जी0एम0जे0–304/ए0एफ0–76 दिनांक 29.01.2018 के विरूद्ध आपूर्तित L.T. XLPE Al. Cable, size- 1x300 Sqmm. के सील्ड सैम्पल को, सी0पी0आर0आई0 नोएडा लैब में जांच कराने पर CPRI, Noida में रिपोर्ट सं० CPRINOACAB18T0163 दिनांक 15.01.2019 के अनुसार टेस्टिंग के दौरान IS:7098 (Part-1) 1988 with latest amedment के Clause 15.2 – "Tensile Strength and Elongation at break" Test को मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। मानक के अनुसार Tests on Outer Sheath की Tensile Strength and Elongation at break-12.9 N/mm^2 minimum (Tensile Strength) and Elongation at break 150% minimum होना चाहिए। टेस्टिंग में यह मानक 12.08 N/mm^2 एवं 87.05% पाया गया। टेस्टिंग परिणाम के अनुसार Cable के Outer Sheath के परिणाम Elongation at break मानक से काफी कम पाया गया है, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है।

उक्त के कम में मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली को इस कार्यालय एवं भण्डार खण्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से केस्को में अधोमानक एस0सी0एस0आर0 डॉग कन्डक्टर की आपूर्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु फर्म द्वारा कोई भी उत्तर प्रेषित नहीं किया गया। निर्गत नोटिसों का विवरण निम्नवत हैः–

क0सं0	पत्र सं0
1	1264/एस0टी0पी0/18–19 दिनांक 18.02.2019
2	203/भण्डार/ए0एफ0–76/18–19 दिनांक 18.03.2019
3	1440/एस0टी0पी0/ए0एफ0–76/18–19 दिनांक 27.03.2019

अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि समस्त सील्ड विद्युत सामग्री के सैम्पलों को CPRI, Noida को इस कार्यालय के पत्रांक 890/STW/Routine Test दिनांक 05.12.2018 द्वारा भेजा गया था, तथा इस पत्र की प्रतिलिपि फर्म को ई–मेल द्वारा प्रेषित की गयी थी। पत्र में टेस्टिंग के समय फर्म प्रतिनिधि को उपस्थित रहने को निर्देशित किया गया था, इस हेतु किसी भी जानकारी को प्राप्त करने हेतु केस्को के प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर भी इंगित किया गया था, जिनसे सम्पर्क कर सैम्पलों की परीक्षण की तिथि एवं समय के सम्बन्ध में जानकारी ली जा सकती थी।

M/s Paragon Cable Corporation, Delhi द्वारा क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-76 दिनांक 29.01.2018 के विरूद्ध L.T. XLPE Al. Cable 1x300 Sqmm. की कुल मात्रा 10 किमी० कुल 20 नग ड्रम में एक बार में की गयी। फर्म के परिसर

पर परीक्षण के दौरान मात्र 2 ड्रमों से 5 मीटर सैम्पल लेकर टेस्टिंग की गयी। इसी प्रकार केस्को हाईटेक लैब में भी मात्र 2 ड्रमों से सैम्पल लेकर टेस्टिंग की गयी। CPRI Noida में L.T. XLPE Al. Cable 1x300 Sqmm. के सैम्पल के Tests on Outer Sheath की Tensile Strength and Elongation at break मानक में फेल होने से यह स्पष्ट है कि फर्म द्वारा आपूर्तित L.T. XLPE Al. Cable 1x300 Sqmm. की सामग्री में से कुछ सामग्री की मानक के अनुरूप आपूर्ति नहीं की है। फर्म का यह कृत्य एक गम्भीर कदाचार है।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ने पत्र सं० 842/सीएमयू(डी)/ईई–03/परिवर्तक/2019 दिनांक 03.04.2019 द्वारा प्रोक्योरमेन्ट गाइड लाइन्स के अर्न्तगत आपूर्तित उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में बिन्दु सं० 01 पर सैम्पल के टेस्टिंग में फेल होने की दशा में आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध शो कॉज नोटिस आदि की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए परीक्षण परिणाम में गम्भीर अनियमितता पाए जाने पर न्यूनतम 03 वर्ष का प्रतिबन्ध/आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्ट किए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली को क्रयादेश सं० जी०एम०जे०–304/ए०एफ०–76 दिनांक 29.01.2018 के अन्तर्गत आपूर्तित केबिल CPRI, Noida में टेस्टिंग के दौरान संदर्भित IS के मानकों के अनुरूप न पाये जाने, अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन एवं केस्को की छवि खराब करने के दोषी पाये जाने के कारण निम्न कार्यवाही की जाती है:–

1. अतः फर्म से किये गये समस्त अनुबन्ध/क्रयादेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता हैं।
2. मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली के विरूद्ध जमा की गई निम्नलिखित धरोहर राशि/बैंक गारण्टी को जब्त किया जाता हैं:–

क्र०सं०	जमानत धनराशि का विवरण	धनराशि (रू० में)
1	SDR No. 6705587 dated 05.02.2018	396000.00
	Total	**396000.00**

3. केस्को, कानपुर के अन्तर्गत फर्म पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली को तत्काल प्रभाव से केस्को के अन्तर्गत 3 वर्ष के लिए काली सूची में डालते हुए किसी भी निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक,केस्को

पत्रांकः– 72/एस0टी0पी0/19–20, दिनांकः– 18.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, 7वां तल, शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 विक्टोरिया पाक मेरठ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, ऊर्जा भवन बाईपास रोड सिकन्दरा, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वाचंल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ।
7. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) 7वां तल, शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, केस्को कानपुर (शिविर कार्यालय)।
9. निदेशक (वाणिज्यक), केस्को कानपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, केस्को कानपुर।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा), केस्को कानपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को कानपुर।
13. मेसर्स पैरागॉन केबिल कॉरपोरेशन देहली।

(मनीष कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता, भण्डार कय